

**कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म०प्र०)**

**// विविध आदेश //**

क्रमांक 38 / दो-12-3 / 91

विदिशा, दिनांक- 30/05/2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश क्रमांक 1228 जबलपुर, दिनांक 27.12.2023 के पालन में श्री राजीव कुमार अयाची, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी०ए०) अधिनियम, विदिशा की पदोन्नति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड के रूप में होने तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश क्रमांक 1234 जबलपुर, दिनांक 29.12.2023 के पालन में श्री जी०सी० शर्मा, एस.सी./एस.टी. (पी०ए०) अधिनियम, विदिशा की पदस्थापना किये जाने एवं उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के फलस्वरूप कार्यालयीन विविध आदेश क्र० 15 / दो-12-3 / 91 दिनांक 10.04.2023 को निरस्त करते हुये जिला विदिशा एवं विदिशा जिले की समस्त तहसीलों में कार्यरत नोटरियों के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र नवीनीकरण हेतु व्यवसाय रजिस्ट्रों एवं रसीद कट्टों की जांच किये जाने एवं जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु श्री जी०सी० शर्मा, एस.सी./एस.टी. (पी०ए०) अधिनियम, विदिशा को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

*(हस्ताक्षर)*

(जाकिर हुसैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विदिशा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक 1877 / दो-12-3 / 91

विदिशा, दिनांक- 30/05/2024

प्रतिलिपि:-

- 1- श्री जी०सी० शर्मा, एस.सी./एस.टी. (पी०ए०) अधिनियम, विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/लटेरी/कुरवाई/नटेरन/ग्यारसपुर/शमशाबाद/त्योंदा/गुलाबगंज की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त नोटरियों को सूचित करावें।
- 3- जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, जिला न्यायालय विदिशा की ओर ई-मेल किये जाने तथा आदेश की प्रति न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*(हस्ताक्षर)*

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
विदिशा (म०प्र०)